10 लोगों की मौत हो गई अफगानिस्तान में मंगलवार को एक वाहन के बम की चपेट में आने से। विस्फोट में तीन बच्चे, दो महिलाएं और पांच आदमी मारे गए हैं। हमले की अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

पाकिस्तान और फौजी तानाशाह

पाकिस्तान की विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है। जनरल अयूब खान, जनरल याह्या खान, जनरल जिया-उल-हक के बाद परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान पर शासन करने वाले चौथे सैन्य कमांडर हैं। कई बार चुनी हुई सरकारों का तख्तापलट करने वाली पाकिस्तानी फौज लगभग 43 साल तक सत्ता में रही। इस दौरान उसने अपनी कट्टरवादी सोच से पाकिस्तान को आतंकिस्तान देश बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आइये जानते हैं पाक में कब-कब रहा सैन्य शासन :

अयूब खान

1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन 11 साल बाद ही जनरल मुहम्मद अयूब खान ने सत्ता हथिया ली और 1958 में खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। पूरे 11 साल तक अयूब खान ने राज किया।

इस दौरान भारत के हाथों पाकिस्तान की करारी हार से अयूब खान की सत्ता पर पकड़ कमजोर होने लगी और 1969 में जनरल याह्या खान ने उन्हें हुकूमत से बेदखल करके पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथों में ले ली।

याह्या खान

25 मार्च, 1969 को राष्ट्रपति का पद संभालने वाले याह्या खान के जमाने में पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में जन्म हुआ और 1971 में भारत के हाथों पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। याह्या खान को पाकिस्तान

की हार का प्रमुख कारण माना गया। 20 दिसंबर, 1971 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। उनसे सभी सेवा सम्मान छीन लिए गए। 1979 तक वह हाउस अरेस्ट में रहे।

जिया-उल-हक

याह्या खान के हटने के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर लोकशाही की बयार चली और जुल्फीकार अली भुट्टो चुनकर प्रधानमंत्री बने, लेकिन जिस जनरल जिया-उल-हक को उन्होंने आर्मी चीफ बनाया, उसी जिया-उल-हक ने 1978 में भुट्टो

का तख्तापलट करके खुद ही पाकिस्तान की कमान संभाल ली। साल भर बाद जिआ-उल-हक ने भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। उसके बाद 1988 में जिया-उल-हक की विमान दुर्घटना में मौत होने तक पाकिस्तान में फौजी हुकूमत रही।

परवेज मुशर्रफ

फौजी हुकूमत जाने के बाद चुनाव तो कई बार हुए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा लड़खड़ाता ही रहा।

दुनिया ने एक बार फिर पाकिस्तान में फौजी हुकूमत तब देखी, जब 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बेदखल करके आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने सत्ता हथिया ली।

फांसी की सजा की स्थिति

पाक कैदियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा 2018 में काउंटिंग द कंडेम्ड, जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान नामक तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक,

- 2004 से अबतक पाकिस्तान में 4,500 लोगों को मिल चुकी है मौत की सजा।
- 2009 से अबतक दुनिया में कम से कम 19, 767 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। इसी दौरान पाकिस्तान की अदालतों ने 2, 705 लोगों को मौत की सजा सुनाई, जो दुनिया भर में मौत की सजा का 14 फीसद है।

टकराव का कारण बन सकता है फैसला

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विशेष अदालत का फैसला पाकिस्तान में सरकार, सेना और न्यायपालिका के बीच टकराव का कारण बन सकता है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इमरान सरकार फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाई कार्ट चली गई थी।

शरीफ का किया था तख्तापलट : जनरल परवेज मुशर्रफ तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की सरकार का तख्तापलट कर 1999 में सत्ता में आए थे। उन्होंने पाकिस्तान पर अगस्त, 2008 तक शासन किया था। मुशर्रफ के सेना प्रमुख रहते ही 1999 में मई से जुलाई तक कारगिल युद्ध हुआ था। सत्ता से बाहर होने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में माना था कि पाकिस्तान आतंकियों को भारत में भेजता है।

उत्तर कोरिया को प्रतिबंधों से राहत दिलाने में जुटे चीन-रूस

प्रयास ▸ दोनों देशों ने सुरक्षा परिषद में की अपने सहयोगी की पैरवी

कोयला, लौह अयस्क और कपड़ों के निर्यात पर लगी पाबंदी हटाने की मांग

संयुक्त राष्ट्र, एपी : चीन और रूस अपने सहयोगी उत्तर कोरिया को प्रतिबंधों से राहत दिलाने के प्रयास में जुट गए हैं। इस कोशिश में इन दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की है कि उत्तर कोरिया से कोयला, लौह अयस्क और कपड़ों के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को खत्म कर दिया जाए। इससे आजीविका संबंधी रोजमर्रा की दिक्कतें झेल रहे उत्तर कोरिया के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

चीन और रूस ने सोमवार को इस संदर्भ में एक प्रस्ताव का मसौदा सुरक्षा परिषद के सदस्यों में वितरित किया। प्रस्ताव में अमेरिका और उत्तर कोरिया में परमाणु मसले पर हुई वार्ता की तारीफ की गई है। साथ ही छह देशों की वार्ता दोबारा शुरू करने की वकालत भी गई है। साल 2003 में उत्तर कोरिया के साथ अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान और रूस ने वार्ता शुरू की थी। सितंबर 2005 में उत्तर कोरिया इस आधार पर समझौते के लिए राजी हुआ था कि सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा लाभ के बदले में वह अपने परमाणु हथियारों को खत्म कर देगा। हालांकि दिसंबर 2008 में अमेरिका के सख्त रुख के चलते समझौता नहीं हो पाया था।

अमेरिका ने सत्यापन के लिए जिस तरीके का प्रस्ताव रखा था, उसे उत्तर कोरिया ने मानने से इन्कार कर दिया था। तब से छह देशों की वार्ता रुकी पड़ी है। रूस और चीन यह प्रस्ताव ऐसे समय लेकर आए हैं, जब अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु वार्ता ठहरी हुई है।

चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग (बाएं) और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमिर पुतिन। फाइल

राष्ट्रपति ट्रंप बोले, उत्तर कोरिया पर है नजर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा, 'हम करीब से नजर रख रहे हैं। उत्तर कोरिया ने अगर कुछ किया तो वो निराशाजनक होगा।' किम ने अमेरिका को अपने रुख में बदलाव लाने के लिए इस साल के आखिर तक अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने रुख नहीं बदला तो उत्तर कोरिया अपना अलग रास्ता अपना लेगा।

विफल हुई कश्मीर पर चीन की चाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की चीन की चाल विफल हो गई है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में एक बार फिर कश्मीर पर एक आंतरिक बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया था, लेकिन फ्रांस समेत दूसरे देशों ने इस प्रस्ताव को विफल कर दिया। लिहाजा मंगलवार को इस तरह की कोई बैठक होने की सूचना नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंगलवार की बैठक को लेकर जो सूचना जारी की है, उसमें भारत, पाकिस्तान या कश्मीर को लेकर कोई जिक्र नहीं है। अगस्त में जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला किया था, उसके कुछ ही दिनों बाद चीन ने इसी तरह की बैठक बुलाई थी।

नई दिल्ली स्थिति कूटनीतिक सूत्रों ने बताया कि चीन की मंशा की सूचना मिलते ही भारत ने सुरक्षा परिषद के तमाम सदस्यों के साथ संपर्क किया। माना जा रहा है कि फ्रांस और अमेरिका ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला मानते हुए इसे दोनों देशों के बीच आपसी मशविरा से ही सुलझाने का सुझाव दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के साथ ही दूसरे गैर अस्थायी सदस्यों से इस बारे में मदद मांगी।

सिख निशान बॉक्स का मामला खारिज

लंदन, प्रेट्र : लंदन के हाई कोर्ट ने 2021 में ब्रिटेन में होने वाली जनगणना के पर्चे में निशान लगाने के लिए संबंधित पृथक सिख बॉक्स का मामला खारिज कर दिया है। एक ब्रिटिश सिख संगठन ने इस संबंध में न्यायिक समीक्षा अर्जी दाखिल की थी। जस्टिस बेवेर्ली लैंग ने व्यवस्था दी कि आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह जल्दबाजी पूर्ण कदम है और सत्ता के विभाजन पर संसदीय विशेषाधिकार एवं संवैधानिक परंपराओं के विपरीत है। उन्होंने नवंबर में सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस दौरान उन्होंने सिख फेडरेशन (ब्रिटेन) की दलीलें और ब्रिटेन के सचिवालय की जवाबी दलीलें सुनीं। फेडरेशन ने दावा किया था कि सचिवालय द्वारा संसद के सामने यूके ऑफिस फॉर नेशनल स्टेटिक्स के दिसंबर, 2018 के श्वेत पत्र के प्रस्तावों पर आधारित जणगणना आदेश अवैध है।

कारगिल युद्ध के खलनायक परवेज मुशर्रफ

पाकिस्तान में जबरन सत्ता हथियाने वाले सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब अमन का पैगाम लेकर पाकिस्तान में थे, तब मुशर्रफ कारगिल की साजिश रच रहे थे। वहीं आगरा शिखर वार्ता में मुशर्रफ के अड़ियल रवैये के कारण कश्मीर का हल नहीं निकल सका था। भारत के दृष्टिकोण से मुशर्रफ का सैन्य और सियासी सफर महत्वपूर्ण है।

कारगिल युद्ध: कारगिल युद्ध को दो बातों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। एक है, भारतीय सेना के अदम्य शौर्य के लिए तो दूसरा मुशर्रफ की कुटिलता के लिए। माना जाता है कि मुशर्रफ ने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को परवान चढ़ाने के लिए कारगिल का युद्ध छेड़ दिया। उस समय वह पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे। अपनी आत्मकथा 'इन द लाइन ऑफ फायर' में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी सेना कारगिल युद्ध में शामिल थी। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान इस तथ्य को छिपाता रहा था। मुशर्रफ ने हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर डाल दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध से हाथ खींचने के लिए कहा था।

आगरा शिखर वार्ता: जुलाई 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जबरन राष्ट्रपति के पद पर काबिज हुए मुशर्रफ की आगरा में मुलाकात हुई। इस शिखर वार्ता में कश्मीर मसले को लेकर मुशर्रफ के साथ सहमति नहीं बन सकी। मुशर्रफ के अड़ियल रवैये के कारण यह वार्ता पटरी से उतर गई थी। वाजपेयी ने मुशर्रफ से कश्मीर में सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कहा था।

संसद हमला: 2001 में ही भारतीय संसद पर हमला हुआ। इस हमले में पाकिस्तान पोषित लश्कर ए तैयबा और जैश ए मुहम्मद जैसे संगठन शामिल थे।

परवेज मुशर्रफ। फाइल

मुशर्रफ एक नजर में

- 11 अगस्त, 1943 को दिल्ली में जन्में
- 1961 पाकिस्तानी सैन्य अकादमी में चयन
- 1998 में सेना प्रमुख बने
- 1999 में नवाज शरीफ को हटा सत्ता पर काबिज हुए
- 2001 में सैन्य प्रमुख रहते स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया
- 2002 में विवादास्पद जनमत संग्रह के बाद पांच साल के लिए राष्ट्रपति बने।
- 2007 में फिर राष्ट्रपति बने।

यह स्वीकारा था कि वो आतंकवादियों को अपने यहां पर ट्रेनिंग देकर भारतीय सेना से लड़ने के लिए भेजते थे।

जब भारत से डर गए मुशर्रफ; मुशर्रफ ने पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को खतरनाक स्तर पर बताया था। उन्होंने कहा था कि यदि पाकिस्तान अपने निकटवर्ती देश पर एक परमाणु बम से हमला करता है तो पड़ोसी देश हमें बीस परमाणु बमों से खत्म कर सकता है।

देशद्रोह का केस

- 3 नवंबर, 2007 को देश में आपातकाल लगाया
- 28 नवंबर को सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा
- 15 दिसंबर मुशर्रफ ने आपातकाल हटाया
- अगस्त 2008 दो प्रमुख सत्ताधारी दलों द्वारा महाभियोग का मामला चलाए जाने की सहमति के बाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया
- 31 जुलाई 2009 : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ के 3 नवंबर 2007 के फैसले को असंवैधानिक बताया
- 06 अगस्त मुशर्रफ ने अपने खिलाफ आरोपों को बेबुनियाद बताया और ब्रिटेन चले गए
- 23 जनवरी 2012 पाकिस्तान की संसद ने एक संकल्प पारित किया। जिसमें मुशर्रफ के लौटते ही गिरफ्तार करने का निर्णय लिया
- 24 मार्च 2013 मुशर्रफ चुनाव के लिए पाकिस्तान लौटे
- 08 अप्रैल देशद्रोह मामले में मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट का समन
- 12 दिसंबर विशेष अदालत ने मुशर्रफ को मामले का सामना करने के लिए तलब किया
- 02 जनवरी 2014 मुशर्रफ बीमार होकर अस्पताल में भर्ती
- 16 मार्च 2016 मुशर्रफ को विदेश में इलाज कराने की अनुमति मिली
- 11 मई विशेष अदालत ने मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में फरार घोषित किया
- 19 नवंबर 2018 : कोर्ट ने मुशर्रफ के वकील को उन्हें लौटाने के लिए मनाने के लिए कहा
- 31 मार्च, 2019 : सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को 2 मई को देशद्रोह मामले में विशेष अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
- 19 नवंबर : विशेष अदालत ने देशद्रोह मामले में अपनी कार्यवाही समाप्त की और कहा कि 28 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा।
- 27 नवंबर : उच्च न्यायालय ने राजद्रोह के मामले में फैसला सुनाने से विशेष अदालत को रोक दिया।
- 17 दिसंबर : विशेष अदालत ने मुशर्रफ मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई।

'गुलाम कश्मीर का अस्तित्व मिटाने की कोशिश में पाक'

- यूकेपीएनपी के नेता ने पाकिस्तानी पंजाब में विलय का लगाया आरोप
- इस्लामाबाद के कब्जे वाले कश्मीर में स्वतंत्र विधानसभा का है प्रावधान

ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड), एएनआइ: पाकिस्तान, गुलाम कश्मीर का अस्तित्व मिटाने की कोशिश में जुटा है। यह आरोप यूकेपीएनपी के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को लगाया। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) के प्रवक्ता नसीर अजीज खान का कहना है कि पाकिस्तान, गुलाम कश्मीर और गिलगिट-बाल्टिस्तान का अवैध रूप से विलय अपने नियंत्रण वाले पंजाब प्रांत में करने की साजिश रच रहा है। बता दें कि इस्लामाबाद के कब्जे वाले कश्मीर का प्रशासन चलाने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्वतंत्र विधानसभा का प्रावधान है, लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पाकिस्तानी हुक्मरान ही यहां पर शासन करते हैं।

जम्मू-कश्मीर सरकार के सेवा और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 11 दिसंबर को जारी आदेश पर खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद के इशारे पर गुलाम कश्मीर के तथाकथित राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से जम्मू-कश्मीर प्रबंधन समूह का नाम बदलकर जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) रखने का आदेश दिया है। यह आदेश गुलाम कश्मीर के प्रधानमंत्री फारुख हैदर खान के मुजफ्फराबाद में दिए गए उस भाषण के बाद जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे गुलाम कश्मीर के अंतिम प्रधानमंत्री हो सकते हैं।

नासिर अजीज के अनुसार, 'गुलाम कश्मीर के पीएम ने अपने उक्त भाषण में कहा था कि पाकिस्तानी प्रशासन ने उनसे स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह पीओके के अंतिम प्रधानमंत्री हैं और उनके बाद इस क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा।' अजीज ने कहा कि यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान गुलाम कश्मीर को पंजाब प्रांत और उसके कुछ हिस्से को खैबर पख्तूनख्वा में विलय करने की अवैध रूप से कोशिश कर रहा है। गिलगिट-बाल्टिस्तान के लिए भी पाकिस्तान ऐसी ही साजिश रच रहा है।

तालिबान पर लागू रहेंगे प्रतिबंध

संयुक्त राष्ट्र, आइएएनएस: अमेरिका से शांति वार्ता कर रहे आतंकी संगठन तालिबान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रतिबंध बरकरार रहेगा। सोमवार को अफगानिस्तान से जुड़े प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने के प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद ने मंजूरी दी। प्रस्ताव 2501 के मुताबिक सभी राज्य शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा तालिबान और उससे जुड़े समूह और संस्थाओं पर कार्रवाई करना जारी रखेंगे।

प्रस्ताव में प्रतिबंध समिति का समर्थन करने के लिए निगरानी टीम के उस आदेश को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई, जिसमें प्रतिबंधों को 12 महीने बढ़ाने की बात कही गई है। बता दें कि वर्तमान प्रतिबंधों की मियाद दिसंबर 2019 में खत्म हो रही है। सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के तहत तालिबान से जुड़े समूह, संस्थाओं और व्यक्तियों पर न केवल यात्रा प्रतिबंध लागू होंगे बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकेगी।

कुआलालंपुर सम्मेलन में शिरकत नहीं करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान

- रंग लाया सऊदी अरब का दबाव, खान ने रद की यात्रा
- सऊदी ने मलेशियाई प्रधानमंत्री के बयान पर जताई थी गंभीर आपत्ति
- मुस्लिम देशों के लिए नए प्लेटफार्म की कही थी बात

इस्लामाबाद, एएनआइ : सऊदी अरब के दबाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मलेशिया की अपनी निर्धारित यात्रा को रद कर दिया है। उन्हें बुधवार से कुआलालंपुर में होने वाले इस्लामिक शिखर सम्मेलन में भाग लेना था। अपने इस निर्णय से इमरान ने मलेशियाई समकक्ष को अवगत करा दिया है। राजनयिक सूत्रों के हवाले से जियो न्यूज ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

बता दें कि इससे पहले बताया गया था कि सम्मेलन में इमरान की जगह विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन राजनयिक सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने भी अपनी यात्रा रद कर दी है। इसका आशय यह है कि इस शिखर सम्मेलन से पाकिस्तान पूरी तरह अलग रहेगा।

दरअसल, शनिवार को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान और इमरान के बीच एक बैठक हुई थी। इस दौरान इमरान ने उन्हें शिखर सम्मेलन में शिरकत के बारे में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी थी। इसी के बाद पाकिस्तान ने सम्मेलन में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी अरब को बुधवार से शुरू होने वाले कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन में भाग लेने का न्योता नहीं दिया गया है। द न्यूज इंटरनेशनल ने बताया कि सऊदी अरब ने मलेशियाई प्रधानमंत्री के उस बयान पर गंभीर आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्होंने इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी) के स्थान पर मुस्लिम देशों के लिए एक नया प्लेटफार्म तैयार करने की बात कही थी। बता दें कि ओआइसी का नेतृत्व सऊदी अरब करता है। इतना नहीं सऊदी अरब के सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कुवैत और बहरीन ने सम्मेलन में कतर के अमीर, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यब एर्दोगन और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के शामिल होने पर आश्चर्य जताया था और कहा था कि ओआइसी के समानांतर मंच बनाने का मकसद सऊदी अरब और उसके सहयोगियों को कमजोर करना है।

इमरान खान। फाइल

अमेरिकी संसद का चुनाव लड़ेंगे भारतवंशी कृष्णा बंसल

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ने की दौड़ में एक और भारतवंशी शामिल हो गए हैं। कारोबारी कृष्णा बंसल ने चुनाव लड़ने का एलान किया है। भारतीय मूल के पीटर मैथ्यू भी प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ने का एलान कर चुके हैं। अमेरिका में इस साल नवंबर में संसदीय चुनाव होने वाले हैं।

बंसल रिपब्लिकन पार्टी की ओर से इलिनोइस की सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सप्ताहांत के दौरान अपने चुनाव अभियान का आगाज करते हुए कहा, 'मैं संसद पहुंचने के लिए चुनाव मैदान में उतरने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूं। इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे सपने पूरे किए हैं। अब मैं अमेरिकियों के सपनों को हकीकत बनाने के लिए काम करना चाहता हूं।' बंसल शिकागो मेट्रोपोलिटन इलाके में रहते हैं। उनके चुनाव अभियान की शुरुआत के मौके पर भारतीय मूल की कई जानीमानी हस्तियां भी मौजूद थीं। इस महीने की शुरुआत में सीएनएन टीवी के राजनीतिक विश्लेषक पीटर मैथ्यू ने कैलिफोर्निया से अपनी दावेदारी पेश की थी।

नियमों का उल्लंघन

खाड़ी देशों से अपने हितों को साधने के लिए पाकिस्तान ने होउबारा बस्टार्ड का शिकार करने के लिए जारी किए विशेष परमिट

कतर के अमीर पाक में कर सकेंगे लुप्तप्राय पक्षी का शिकार

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान ने कतर के अमीर और शाही परिवार के नौ सदस्यों को लुप्तप्राय की श्रेणी में आने वाले पक्षी होउबारा बस्टार्ड का शिकार करने के लिए विशेष परमिट जारी किए हैं। जिन जगहों पर इन पक्षियों का शिकार किया जा सकता है वे क्षेत्र सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत में आते हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक एक नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के बीच 10 दिनों की सफारी में 100 होउबारा बस्टार्ड का शिकार किया जा सकता है।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि उप विदेश मंत्री मोहम्मद अदील परवेज ने 2019-20 के लिए परमिट जारी किए हैं। जिन लोगों को परमिट जारी किया गया है उनमें तेल समृद्ध खाड़ी देश कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी, उनके चाचा, भाई और सात अन्य लोग शामिल हैं। खास बात यह है कि इस कदम के खिलाफ बढ़ती आलोचनाओं के बावजूद पाकिस्तान खाड़ी देशों के शाही परिवारों के सदस्यों को हर साल इन पक्षियों का शिकार करने का परमिट जारी करता है। होउबारा बस्टार्ड के शिकार का प्रयोग पाकिस्तान अरसे से खाड़ी देशों से अपने हितों को साधने के लिए करता रहा है। बता दें कि अपनी घटती आबादी के मद्देनजर यह प्रवासी पक्षी न केवल विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत संरक्षित हैं, बल्कि स्थानीय वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत इसके शिकार पर भी प्रतिबंध है। पाकिस्तानियों को इस पक्षी का शिकार करने की अनुमति नहीं है।

होउबारा बस्टार्ड। फाइल

शर्मिला, लेकिन खूबसूरत होता है होउबारा बस्टार्ड

होउबारा बस्टार्ड पक्षी शर्मीला, लेकिन खूबसूरत होता है और आकार में टर्की चिड़िया जैसा दिखता है। हर साल सर्दियों में ये मध्य एशिया से उड़कर पाकिस्तान आते हैं। इस पक्षी को वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संधि (बॉन संधि) में शामिल किया गया है। इन पक्षियों का शिकार बाज की मदद से किया जाता है। पिछले दशकों में होउबारा बस्टार्ड की संख्या शिकार और उनकी रिहायशी जगहों के सिकुड़ने से तेजी से कम हुई है, इसीलिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आइयूसीएन) ने भी इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में 'आसानी से शिकार किए जा सकने' वाला पक्षी घोषित किया है। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में पाकिस्तान भी शामिल है।

इस साल दुनियाभर में 49 पत्रकारों की हुई हत्या

- यमन, सीरिया व अफगानिस्तान के संघर्ष प्रभावित इलाकों में कवरेज के दौरान मारे गए ज्यादातर पत्रकार

पेरिस, एएफपी : इस साल दुनिया भर में 49 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। इनमें ज्यादातर यमन, सीरिया और अफगानिस्तान के संघर्ष प्रभावित इलाकों में कवरेज के दौरान मारे गए। हालांकि, यह संख्या पिछले 16 वर्षों के दौरान सबसे कम है। फ्रांसिसी निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसे आरएसएफ के नाम से भी जाना जाता है।

आरएसएफ ने बताया कि पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से दुनियाभर में प्रतिवर्ष औसतन 80 पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। आश्चर्यजनक है कि शांत माने जाने वाले देशों में भी पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। इस साल अकेले मेक्सिको में 10 पत्रकार मारे गए।

लैटिन अमेरिका में इस साल सबसे ज्यादा 14 पत्रकारों की हत्याएं हुईं। इसके कारण वह पश्चिम एशिया जितना ही खतरनाक साबित हुआ है।

चीन, मिस्र व सऊदी अरब में हुई सबसे ज्यादा पत्रकारों की गिरफ्तारी

इस साल दुनियाभर में करीब 389 पत्रकार गिरफ्तार किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले 12 फीसद ज्यादा है। इनमें करीब आधे की गिरफ्तारी सिर्फ तीन देशों- चीन, मिस्र और सऊदी अरब में हुई। दुनियाभर में 57 पत्रकारों को बंदी भी बनाया गया है, जिनमें ज्यादातर सीरिया, यमन, इराक व यूक्रेन में कैद हैं। बता दें कि ज्यादातर पत्रकारों की मौत आतंकवाद प्रभावित इलाकों में ही आतंकियों द्वारा की जाती है।